

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 09 / 2024

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, रेवदर जिला सिरौही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री परबतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी वाडका, सिरौही हाल प्रोप. आशापुरी होटल, मालपुरा पटीया, वरमाण, तहसील रेवदर जिला सिरौही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही ।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित ।


निर्णय

दिनांक 24.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2024 को श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक रेवदर द्वारा आशापुरी होटल, मालपुरा पटीया, वरमाण, तहसील रेवदर जिला सिरौही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरौही की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 21.09.2024 को श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक रेवदर द्वारा आशापुरी होटल, मालपुरा पटीया, वरमाण, तहसील रेवदर जिला सिरौही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया, जिसका उपयोग होटल पर खाना बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन साप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।


जिला कलक्टर, सिरौही


अप्रार्थी के द्वारा बावजूद नोटिस तामिली एवं अप्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा तीन बार आवाज लगवाए जाने के बाद भी किरसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान(होटल) की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान(होटल) पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान(होटल) पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर जिस भट्टी से जुड़ा हुआ था, उस भट्टी पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्रार्थी द्वारा परिसर को होटल के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि होटल में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डर की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के स्वयं के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते हैं परन्तु आशापुरी होटल, मालपुरा पटीया, वरमाण, तहसील रेवदर जिला सिरौही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाने एवं उस पर वक्त निरीक्षण खाना इत्यादि बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जप्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिए गए उक्त एक गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।


(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही